न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 154/2012 निर्णय दिनांक :–30.0819

उनवानी दावा :

1. प्रहलाद पुत्र सरलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
2. शंकर पुत्र सरलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
3. लाडा पुत्री सरलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
4. सीता पुत्री सरलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
5. मथरा पुत्री सरलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
6. हगामी बेवा पत्नि सरलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक

– वादीगण –

बनाम

1. जगदीश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
2. गोकूल पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली, जिला–टोंक
3. तहसीलदार जी, देवली (लेण्ड होल्डर) तहसील देवली जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री बी. पी. विजयवर्गीय
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी जमाबंदी भू–प्रबंध विभाग संवत् 2046–2065 के अनुसार किशनलाल, सरलाल, रतना पि0 माधों हिस्सा 1/3, गोपी पि0 रामनाथ हिस्सा 1/3, रतना पि0 मु0 कल्ला हिस्सा 1/3, कौम जाट निवासी आकोडिया, पंचायत सर्किल संथली तहसील देवली के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्न कृषि भूमि है। किशन लाल, सरलाल, रतना पि0 माधों व गोपी पि0 रमनाथ व रतना पि0 मु0 कल्ला कौम जाट साकिन देह खातेदार ख0नं0 238 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 242 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 269 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 271 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 553 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 554 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 703 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 830 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 831 रकबा 0.66 है0, ख0नं0

2

882 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 883 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0चाह 895 रकबा 0.60 है0, वर्तमान संशोधन के अनुसार मौजूदा जमाबंदी में उक्त भूमि में नवीन ख0नं0 139, 140, 585, 586, 612, 618, 737, 738, 790, 791, 804, 1320 बने है। उक्त भूमि का सहखातेदार रतना की मृत्यु दिनांक 30.04.2012 को हो गई है तथा रतना पुत्र माधो एवं रतना पि0 मु0 कल्ला एक ही व्यक्ति है, खातेदार किशनलाल की भी मृत्यु हो गई है। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 किशनलाल के उत्तराधिकारी होने के कारण किशनलाल के 1/3 हिस्से के खातेदार, कृषक मौजूदा जमाबंदी में है। वादीगण सरलाल की संताने व उत्तराधिकारी होने के कारण सरलाल की मृत्यु के बाद हिस्सा 1/3 की खातेदार, कृषक है, का भी अंकन मौजूदा जमाबंदी में है। रतना पुत्र माधो जो रतना पुत्र कल्ला भी है, की मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से रतना के उत्तराधिकारी है एवं समान रूप से रतना के हिस्से की भूमि के काबिज, खातेदार, कृषक है तथा रतना के हिस्सा 2/3 में आधे–आधे हिस्से के खातेदार, कृषक है। रतना की मृत्यु के बाद प्रहलाद जो रतना के भाई सरलाल का पुत्र है और परस्पर सगे काका–भतीजे है, रतना जो अविवाहित और लाऔलाद फौत हुआ, के समस्त मृत्यु संस्कार उसके सगे भाई के लडके की हैसियत से वादी प्रहलाद ने खर्चा करके सम्पन्न किये है, तथा हस्व रिवाज हिन्दू समाज एवं परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रतना का अंतिम संस्कार, कपाल क्रिया एवं 3 दिन के शमशान घाट की समस्त क्रियाऐं सम्पन्न करके रतना की अस्थीयों को उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से बिसलपुर परियोजना बांध में धार्मिक क्रियाओं के साथ विसर्जन किया है और उसके मृत्यु के कारण पुत्रवत पिण्डदान आदि धार्मिक क्रियाऐं आदि सम्पन्न की है तथा रतना की अंतिम इच्छा के अनुसार मृतक आत्मा की शांति हेतु गंगौज का धार्मिक अनुष्ठान रिश्तेदारान एवं ग्राम के समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करके सम्पन्न किया है। जिसमें शौक संताप जगदीश व प्रहलाद जाट निवासी आकोडिया के नाम से आमंत्रित कर उसका खर्चा जगदीश व प्रहलाद ने आधा–आधा वहन किया है तथा 12 दिन के बाद रतना के वारिस की हैसियत से रतना के पगडी का दस्तूर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारान एवं ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने वादी प्रहलाद को पगडी बंधाकर सम्पन्न किया है। इस तरह रतना की मृत्यु के बाद रतना पुत्र माधो एवं रतना दत्तक कल्ला जो एक ही व्यक्ति है, के नाम के उक्त भूमि के हिस्से के वादीगण जो सरलाल की संताने है, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 जो किशनलाल की संताने है एवं रतना के भतीजे है। दोनो बराबर–बराबर के हिस्सेदार, काबिज कृषक है। वादी सं0 1 जगदीश ने रतना के उक्त भूमि को रतना की 1/3–1/3 अर्थात 2/3 हिस्से का फौती नामान्तकरण के लिये वादी प्रहलाद पटवारी हल्का के पास गया, तो उन्होने कहा कि प्रतिवादी जगदीश ने हकत्याग के नाम से अकेले के नाम पहले ही रतना के हिस्सा 2/3 का नामान्तकरण हकत्याग के आधार पर जगदीश के नाम हो चुका है, राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र किशनलाल का नाम का हिस्सा 1/2 एवं गोकूल के नाम हिस्सा 1/18 का अंकन एवं सरलाल के उत्तराधिकारी वादीगण का हिस्सा 1/9 का अंकन होना पाया गया है। इसलिए इसकी दुरूस्ती दावे के जरिये होने पर ही नामान्तकरण आपके नाम भरा जा सकता है। सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2046 से 2065 के अनुसार आराजी ख0नं0 1133 रकबा 0.84 है0 किस्म बारानी प्रथम, ख0नं0 1139 रकबा 0.62 किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम आकोडिया, पटवार क्षेत्र संथली, तहसील देवली में रतना पुत्र माधो का 1/3 हिस्सा

अंकित है, जिसके भी रतना के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान रूप से रतना के भतीजे होने के कारण काबिज, खातेदार, कृषक है। उक्त ख0नं0 के संशोधित वर्तमान ख0नं0 1047 एवं 1074 बने है। रतना खातेदार ने अपने जीवनकाल में कभी भी तहसील देवली में जाकर उक्त भूमि के अपने हिस्से का हकत्याग लिखाकर, उपपंजीयक देवली के समक्ष पेश नही किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में भी खातेदारी की कृषि भूमि का हकत्याग का प्रावधान नही है, अगर रतना पुत्र माधो के नाम से ऐसा हकत्याग पत्र प्रतिवादी जगदीश ने अपने नाम लिखकर उसके पंजीकृत करवाया है, तो वह हकत्यागपत्र फर्जी एवं बनावटी है। ऐसे हकत्यागपत्र पर रतना ने अपना अंगूठा निशानी नही किया है। प्रतिवादी जगदीश वादीगण को उनके रतना के हिस्से की हिस्सेदारी से वंचित करने के उद्देश्य से ऐसा हकत्यागपत्र की कूट रचना की है, जो वादीगण के हितो पर प्रभाव शून्य है और वादीगण के विरूद्ध साक्ष्य में ग्रहणीय नहीं है। प्रतिवादी जगदीश चुपचाप कथित हकत्यागपत्र दिनांक 23.05.2006, जिसका पंजीयन दिनांक 24.05.2006 को होना बताया गया है, के जरिये पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तकरण सं0 282 दिनांक 04.06.2006 बिना नोटिस जारी किये ग्राम पंचायत संथली से स्वीकृत कराना पाया गया है। जिस हकत्याग फर्जीवाडे की जानकारी उप पंजीयक के ध्यान में आने पर उप पंजीयक द्वारा जगदीश को तलब कर केन्सिल करने की कार्यवाही के लिये नोटिस जारी करना पाया गया है। कथित हकत्यागपत्र रतना ने उप पंजीयक देवली के समक्ष पेश नही किया है तथा उप पंजीयक के समक्ष अंगूठा निशान भी नही किया है तथा उप पंजीयक ने रतना को कथित लेखपत्र पढकर, सुनाकर, समझाकर निष्पादन करना उप पंजीयक के समक्ष स्वीकार नही किया है बल्कि इसकी खानापूर्ति करके जगदीश ने अपने लडके लक्ष्मण, जो उस समय बालिग भी नही हुआ था, के एवं अपने सहपाठी के नाम से पहचान की कार्यवाही करना पाया गया है, लेकिन उप पंजीयक देवली द्वारा ऐसी पहचान एवं रामरतन द्वारा उसके समक्ष हस्ताक्षर करने की तस्दीक के उप पंजीयक के हस्ताक्षर नही किये है। इस तरह रजिस्ट्रेशन एक्ट व रजिस्ट्रेशन नियम के अनुसार उक्त हकत्यागपत्र कानून की दृष्टि में पंजीयक दस्तावेज नही है, और ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज, हकत्याग के जरिये स्वीकृत नामान्तकरण अवैध है और निरस्त किये जाने योग्य है तथा ऐसे नामान्तकरण के बाद राजस्व रिकार्ड जमाबंद में रतना पुत्र माधो एवं रतना पुत्र कल्ला के स्थान पर जगदीश पुत्र किशनलाल के नाम का अंकन अनाधिकृत एवं फर्जी हकत्याग के जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अंकन वादी के हितो पर प्रभाव शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 40 राज0 टि0 एक्ट 1955 सपठित धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत रतना पुत्र माधो जाट निवासी आकोडिया की मृत्यु के बाद उसके हिस्से एवं खातेदारी की भूमि का वादीगण संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 के सामने रूप से काबिज, खातेदार, कृषक है और संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे, काश्त एवं स्वामित्व में मालिक की हैसियत से काबिज, कृषक है। प्रतिवादीगण जगदीश के नाम स्वीकृत नामान्तकरण सं0 282, दिनांक 04.06.2006 के जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रतना पुत्र माधो एवं रतना पि0मु0 कल्ला, के हिस्से का जो अंकन है, वह अंकन अनाधिकृत एवं अवैध है। जिसे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में कराया जाकर खातेदार,

कृषक की घोषणा करना आवश्यक हो गया है जिससे की जमाबंदी दुरूस्ती की जा सके। जगदीश प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ गई है और वह उक्त फर्जी एवं बनावटी हकत्याग के जरिये स्वीकृत नामान्तकरण के नाम का दुरूपयोग कर वादीगण को रतना के हिस्से कि आराजीयात की आधी भूमि पर वादीगण के कब्जे, काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने लगा है, और कहने लगा है कि अगर रतना की जमीन के आधे हिस्से में काश्त की तो मौके पर मारपीट व खून खराबी होगी, जबकि वादीगण को रतना के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि की हद तक काश्त करने का वैधानिक अधिकार है। कथित अनाधिकृत एवं अवैध एवं फर्जी हकत्याग के जरिये स्वीकृत नामान्तकरण सं0 282 दिनांक 04.06.2006 अनाधिकृत एवं अवैध है, और वादीगण के हितो पर प्रभाव शून्य है। जिस नामान्तकरण को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का दिनांक 04.06.2006 से पूर्व स्थिति कायम कराये जाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी जगदीश व गोकूल द्वारा फर्जी एवं बनावटी हकत्याग के जरिये चुपचाप नामान्तकरण सं0 282 दिनाकं 04.06.2006 के आधार पर बनायी गई जमाबंदियों के अंकन के कारण एवं रतना की मृत्यु दिनांक 30.04.2012 से एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे, काश्त में मजाहमत करने से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है और इस न्यायालय को वाद का श्रवधाधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद पत्र के चरण नं0 1 में स्थित आराजी ग्राम आकोडिया के तन में होना स्वीकार है तथा पक्षकारान के सजरे में स्वर्गीय माधों की संताने होना स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2 में रतना पुत्र माधो व रतना पुत्र कल्ला की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत है अस्वीकार है स्वर्गीय रतना की भूमि से वादीगण का किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नही है। बल्कि उक्त भूमि जगदीश पुत्र किशनलाल की खातेदारी की भूमि है। जो रतना द्वारा हकत्याग कर किशनलाल को दी गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। वाद पत्र का चरण नं0 3 गलत है अस्वीकार है। रतना की मृत्यु के बाद प्रहलाद अथवा अन्य वादीगण ने किसी तरह की कोई मृत्यु संस्कार तथा धार्मिक क्रिया क्रम नही किये है उक्त तथ्य असत्य अंकित किये है बल्कि किशन लाल एवं उसके पुत्रों द्वारा समस्त क्रिया क्रम एवं रिति रिवाज के अनुसार होने वाले धार्मिक कार्यक्रम एवं रसोई की है तथा उन्ही ने अपनी और से समाज में चिट्टियां भिजवाई है पगडी का दस्तूर भी प्रहलाद के नही हुआ है एवं पगडी के दस्तूर होने मात्र से किसी को किसी की सम्पति में कोई एक हिस्सा प्राप्त नही होता है। स्वर्गीय रतना की हिस्से की आराजी में वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है और ना ही मौके पर उनका कब्जा है बल्कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 का बहैसियत मालिक खातेदार कब्जा है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। वादी पत्र का चरण नं0 4 गलत है अस्वीकार है वादीगण को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि स्वर्गीय रतना ने अपने हिस्से की आराजी का रजि0 हक त्याग के माध्यम से किशनलाल के पुत्र जगदीश को दे दी है तथा उक्त रजि0 रिलीज डीड के आधार पर जगदीश के नाम नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया जा चुका है। वादीगण ने स्वर्गीय रतना के जीवनकाल तक उक्त हकत्याग बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की है। हल्का पटवारी द्वारा सही रूप से हक त्याग के

2

आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 5 गलत है अस्वीकार है। स्वर्गीय रतना पुत्र माधो की समस्त आराजीयात अथवा उसके हिस्से की भूमि से वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई संबंध अथवा हक हिस्सा नही है बल्कि उक्त समस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी की एवं कब्जे की भूमि है जिस पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 स्वर्गीय रतना के जीवनकाल से काबिज चले आ रहे है तथा स्वर्गीय रतना ने उक्त भूमि रिलीज डीड के माध्यम से भी जगदीश को दे दी है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 6 गलत है अस्वीकार है स्वर्गीय रतना ने अपने जीवनकाल में ही स्वयं ने तहसील में उपस्थित होकर दिनांक 24.05.2006 को उप पंजीयक देवली के समक्ष अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग प्रतिवादी नं0 1 जगदीश के हक में पंजीकृत करवाया है उप पंजीयक के समक्ष अपना पोटो भी हकत्याग पर चस्पा किया है तथा मौतवार गवाहान द्वारा उसकी पहचान की गई है ऐसी स्थिति में हकत्याग पत्र का फर्जी होने का कोई संदेह नही है ऐसी स्थिति में दावा खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 7 में उक्त हकत्याग पत्र दिनांक 24.05.2006 को पंजीयन होना एवं ग्राम पंचायत संथली से नामान्तकरण तस्दीक होना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से अंकित की गई है गलत है अस्वीकार है। उप पंजीयक द्वारा उक्त हकत्याग बाबत् किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अथवा नोटिस आज तक जारी नही किया गया है उक्त तथ्य भी असत्य अंकित किये है। बल्कि उप पंजीयक ने उक्त हकत्याग पंजीयन को सही रूप से स्वीकार एवं सही माना है।वाद पत्र का चरण नं0 8 गलत है अस्वीकार है स्वर्गीय रतना ने स्वयं ने तहसील में उपस्थित होकर अपने हिस्से की आराजी का हकत्याग प्रतिवादी नं0 1 जगदीश के हक में उप पंजीयक से पंजीयन करवाया है जिसका फर्जी होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। यदि सहवन से किसी स्थान पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर होने से रह गये है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को फर्जी माना जाना कानूनन सही नही है। उक्त हक त्याग पत्र पर उप पंजीयक के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर है। तथा स्वर्गीय रतना के भी एवं गवाहान के भी हस्ताक्षर है ऐसी स्थिति में उक्त हक त्याग पत्र सही रूप से निष्पादित किया गया है। उक्त दस्तावेज के माध्यम से राजस्व कर्मचारी द्वारा सही रूप से नामान्तकरण भर कर तथा ग्राम पंचायत द्वारा सही और वास्तविक जानकारी करके नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 9 गलत है अस्वीकार है। स्वर्गीय रतना पुत्र माधो की आराजी में वादीगण का किसी भी प्रकार को कोई हक हिस्सा नही है और ना ही उनका कब्जा–काश्त है बल्कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 बहैसियत मालिक व खातेदार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 10 गलत है अस्वीकार है। नामान्तकरण सं0 282 दिनांक 04.06.2006 जरिये रजि0 रिलीज डीड के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्ण जांच कर भरा गया है। तथा स्थानीय ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जानकारी करके उक्त नामान्तकरण को सही रूप से तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा पंजीकृत रिलीज डीड को निरस्त किये बिना वादीगण अपने हक में खातेदारी की उद्घोषणा श्रीमान् के न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यदि वादीगण को उक्त हकत्याग पत्र बाबत् किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो उन्हे सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए जो नही की

गई है ऐसी स्थिति में उक्त दावा चलने योग्य नही है बल्कि खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 11 गलत है अस्वीकार है वादीगण का स्वर्गीय रतना की हिस्से की भूमि पर किसी तरह की कोई कब्जा काश्त नही है ऐसी स्थिति में उनके कब्जे में मजाहमत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रतिवादी ने मारपीट व खून खराबी होने वाली बात कभी नही की है उक्त तथ्य गलत अंकित किये है वादीगण का विवादित भूमि में किसी तरह का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 12 गलत है अस्वीकार है राजस्व कर्मचारियों द्वारा रिलीज डीड के आधार पर सही रूप से नामान्तकरण भर कर पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। रिलीज डीड को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा आज तक निरस्त नही किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण बिना रिलीज डीड को निरस्त करवाये न्यायालय से किसी भी प्रकार की उद्घोषणा अथवा अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद पत्र का चरण नं0 14 गलत है एवं अस्वीकार है। वादीगण को किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। हकत्याग के आधार पर पर भरे गये नामान्तकरण को निरस्त करवाने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है ऐसी स्थिति में उक्त वाद का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही है।

पत्रावली में तनकियात कायम कर सुनाई गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। पत्रावली मे साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं वादी प्रहलाद आदि बनाम जगदीश, साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 जगदीश पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी आकोड़िया, साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–3 श्योजीराम पुत्र श्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी का पेश किया।

वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस तरह से है:– जमाबन्दी 2046–65 प्रदर्श–1, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2, जमाबन्दी 2046–65 प्रदर्श–3, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4, नामांतकरण संख्या 282 प्रदर्श–5, जमाबंदी 2067–70 प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7, रीलिज डीड प्रदर्श–8, पुलिस अधीक्षक टोंक को पिश किया प्रा. पत्र की प्रमाणित प्रदर्श–9, समझोता पत्र प्रदर्श–10, नामान्तकरण संख्या 257 प्रदर्श–11, नामांतकरण संख्या 258 प्रदर्श–12, जमाबन्दी सं. 2022–25 प्रदर्श–13 पेश किये है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 व पी. डब्ल्यू–3 से जिरह की। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी.डब्ल्यू–1 व 2 पेश किये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा डी. डबल्यू–1 से जिरह की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी में किशनलाल, सरलाल, रतना पि0 माधो का हिस्सा 1/3 व गोपी पि0 रामनाथ का 1/3 हिस्सा व रतना पि0 मु0 कल्ला कौम जाट का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। रतना पुत्र माधो व रतना पुत्र कल्ला एक ही व्यक्ति है जो लाऔलाद फौत हो गया जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान रूप से रतना के 2/ 3 हिस्से में से 1/–1/2 के हकदार है। परन्तु रतना के जीवित रहते प्रतिवादी जगदीश ने

रतना का फर्जी हक त्याग पत्र तैयार कर रतना के हिस्से की जमीन को अपने नाम करवा लिया जो प्रभाव शून्य है । जबकि रतना की मृत्यु के बाद सारे रस्मो–रिवाज प्रहलाद व जगदीश ने मिलकर किये थे और समाज के सामने रतना की पगड़ी भी प्रहलाद के बंधी थी जिसके अनुसार रतना का उतराधिकारी प्रहलाद हुआ। परन्तु हमारी प्रार्थना न्यायिक है जिसके अनुसार रतना की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा बनता है। रतना द्वारा कोई हकत्याग पत्र उपपंजीयक के सामने पेश नहीं किया है । हकत्याग पत्र पर गवाह के रूप में जगदीश के पुत्र लक्ष्मण व उसके सहपाठी के हस्ताक्षर है। आकोड़िया ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह हकत्याग पत्र फर्जी है इसलिए साक्ष्य के लिए गांव का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है बल्कि प्रतिवादी साक्ष्य भी प्रतिवादी जगदीश व उसके पुत्र के करवाये है, गांव के किसी अन्य व्यक्ति के नही करवाये है। रतना की मृत्यु पर शोक सन्देश कार्ड में शोक संतप्त में जगदीश व प्रहलाद दोनो का नाम है। जगदीश ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है रतना के 12 वें का गंगोज का खर्चा दोनो ने आधा–आधा दिया है। उभयपक्ष ने इस सम्बन्ध में एक समझोता थानाधिकारी दूनी के समक्ष पेश किया जिसके अनुसार रतना की जमीन में 1/2 हिस्से पर जगदीश व गोकुल व 1/2 हिस्से पर प्रहलाद व शंकर बराबर हिस्सा कर लेंगे। नियमानुसार पैतृक सम्पति में हकत्याग में सभी सहखातेदारो के नाम हकत्याग करना पड़ता है किसी एक व्यक्ति के नाम हकत्याग नहीं किया जा सकता है। हक त्याग द्वारा परिवार के किसी एक व्यक्ति को खातेदारी अधिकार स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते है। नामान्तकरण खुलने मात्र से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अवैध हकत्याग को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय का है। सिविल न्यायालय को नहीं है। वादीगण का वाद खातेदार काश्तकार घोषित करने का है इसलिए इस वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। इसके लिए अधिवक्ता वादी ने आर.आर.टी 2018(1), आर.आर.टी 2018(2), आर.बी.जे (15) 2008 पेश किये है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जब तक रतना जीवित रहा उसकी सेवा, सुश्रुषा जगदीश ने ही की और वह जगदीश के पास ही रहा। इस से खुश होकर उसने अपनी जमीन का हकत्याग जगदीश के पक्ष में पंजीयन अधिकारी के सामने किया है। यह रिलिज डीड फर्जी न होकर रजिस्टर्ड है जो पंजीयन अधिकारी के समक्ष हुई है और उसका नामान्तकरण भी प्रतिवादी जगदीश के हक में खोला जा चुका है। रतना के हिस्से की जमीन को प्रतिवादी जगदीश रतना के जीवन काल से ही उपयोग उपभोग करता आ रहा है और वर्तमान में भी उक्त आराजी पर जगदीश का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रतना की मृत्यु के बाद जोर जबरदस्ती से प्रहलाद ने उसकी पगडी पहनी है। रिलिज डीड भी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के समान ही उसकी वेल्यू है। जमीन की कीमते बढ जाने से वादीगण के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई और वे रतना की जमीन

को वाद के माध्यम से छीनना चाहते है। यदि रिलिज डीड फर्जी है तो इसके लिए वादीगण को सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रिलिज डीड को निरस्त करवाना चाहिए। किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यदि यह रिलिज डीड नियमानुसार नहीं होती तो तहसीलदार नामान्तरकण नहीं खोलते। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकियात :–

1. आया वादीगण भू–प्रबंन्ध विभाग की खतौनी सम्वत 2046 से 2065 ग्राम आकोड़िया के खाता संख्या 32 व 33 में दर्ज आराजियात पर खातेदार रतना पुत्र माधो व रतना पि. तु. कल्ला कोम जाट जो एक ही व्यक्ति है की मृत्यु के बाद जमाबन्दी में अंकित हिस्से की आधी भूमि के वादीगण काबिज खातेदार कृषक है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 56, 57 में रतना के हिस्से की भूमि प्रतिवादी 1 जगदीश के नाम के अंकन को अनाधिकृत एवं अवैध घोषित करा विलोपित करा राजस्व रिकॉर्ड में रतना के आधे हिस्से के खातेदार वादीगण एवं आधे हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण के नाम अंकन करवाने के हकदार है और दिनांक 24.05.06 को फर्जी हकत्याग से भरे गए नामान्तकरण 282 को प्रभाव शून्य कराने एव 1/2 हिस्से में प्रतिवादी –1 कब्जेकाश्त में मजामहत नही करने के लिए प्रतिवादी–1 को पाबन्द कराने के हकदार है?

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त तनकी में प्रथम बिन्दू रतना की मृत्यु के बाद उसकी भूमि पर वादीगण काबिज खातेदार कृषक है को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से 3 करवाये। इस हेतु वादीगण द्वारा प्रहलाद पुत्र सरलाल ने अपने बयान करवाये है । सहखातेदारी की आराजी भूमि में सभी सहखातेदारो का आराजी में प्रत्येक हिस्से पर कब्जा काश्त होता है। अतः यह कब्जे का बिन्दु सहखातेदारो के बीच उत्पन्न नहीं होता है। जमाबन्दी 2067–70 के खाता संख्या 56, 57 में रतना के हिस्से की भूमि जगदीश के नाम अंकन हो गया है जिसको वादीगण विलोपित करने के अधिकारी है । इसे सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर ही है। इसके लिए वादीगण ने रतना की मृत्यु के उपरान्त रतना के किर्याक्रम, अस्थि विसर्जन आदि का खर्चा एवं समस्त रस्मो रिवाज प्रतिवादी जगदीश के साथ मिलकर करने का उल्लेख किया है साथ ही वादी द्वारा रतना की मृत्यु उपरान्त पगड़ी वादी को बांधी गई है जिसका वादी द्वारा अपने गवाह पी. डब्ल्यू–1 से 3 द्वारा सिद्ध कराया गया है। वादी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायाल राजस्व मण्उल अजमेर में बंशीधर बनाम हनुमान के निर्णय को उद्धत किया है जिसके अनुसार राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसरण में किसी खातेदार काश्तकार द्वारा हक त्याग के माध्यम से अपने काश्तकारी

अधिकारी का हस्तान्तरण नही किया जा किता है। क्योंकि धारा 63 काश्तकारी में ऐसा कोई प्रावधान नही है जिसका अधिकारो को हकत्याग के माध्यम से स्थानान्तरित किया जा सकता है।

काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार अभिधृतियो का निर्वापन(अवसान) :–

1. किसी अभिधारी का, अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग में हित, यथास्थिति, तब निर्वापित हो जायेगा।

I. जब वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विरासत का हकदार वारिस छोडे बिना मर जावे।

II. जब वह इस अधिनियम के [या राजस्थान भू–राजस्व , अधिनियम, 1956(1956 अधिनियम का अधिनियम संख्या 15) के उपबंधों के अुनसार उसका अभ्यर्पण या परित्याग कर दे,

III. जब उसकी भमि [भूमि अर्जन अधिनियम, 1894(1894 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) के अधीन) अर्जित कर ली गयी हो।

IV. जब उसे कब्जे से वंजचत कर दिया गया हो और उसका कब्जा फिर से प्राप्त का अधिकार परिसीमा से वर्जित हो जाये,

V. जब वह इस अधिनियम क उपबंधों के अनुसार उसे बेदखल कर दिया जाये,

VI. जब वह उसमें भू–धारक के सभी अधिकारों को अर्जित कर ले अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त कर ले अथवा भू–धारक उन्हे विरासत में पाये या अन्यथा अर्जित करे

VII. जब वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसका विक्रय कर दे या उसे दान मे दे दे या दान कर दे,

VIII. जब वह विधिमान्य पारपत्र अभिप्राय किये बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवास के लिए भारत से विदेश चला जाये,

IX. यदि राजस्थान भू–राजस्व अधिनिय, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन भूमि का आंवटन रद्ध कर दिया जाये या भूमि को पुनः कब्जे में लेने का आदेश दिया जाये]

निर्वापन(अवसान) – धारा 63 में नौ ऐसी परिस्थितियां बताई गई है, जब अभिवृतिया निर्वापित (समाप्त) हो जाती है, वे इस प्रकार बताई जा सकती है–

1. बिना वारिस मर जाने पर,
2. उसका अभ्यर्पण या परित्याग कर देने पर ,
3. भूमि को सरकार द्वारा अर्जित कर लेने पर
4. कब्जे से वंचित कर देने पर
5. बेदखल किए जाने पर

6. भू धारक के अधिकार अर्जित कर लेने पर
7. डसका विक्रय या दान करने पर
8. विदेश चले जाने पर
9. आंवटन निरस्त हो जाने पर

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रावधान का उल्लेख नहीं नही किया गया है जिसके आधार पर काश्तकारी अधिकारों को हक त्याग के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 38 से 53 तक काश्तकारी अधिकारो के स्थानान्तरण के विस्तृत प्रावधान किये गये है जिसमें काश्तकारी अधिकारों को हकत्याग के माध्यम से हस्तान्तरण को कोई प्रावधान नहीं है। काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित धारा 63 के प्रावधानो के अनसार हक त्याग के माध्यम से काश्तकारी अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी को वादीगण सिद्ध करने में सफल रहे। अतः तनकी नं. 1 को वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादी का वाद रतना की भूमि में वादीगण का किसी तरह का कोई संम्बन्ध व सरोकार नही होने से खारिज योग्य है? **–प्रतिवादी नं. 1 व 2–**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पर था। इसके लिए उन्होने साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 व 2 के माध्यम से बताया कि रतना की भूमि को रतना के जीवित रहते प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त रहा है और वर्तमान में भी प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है और रतना के फौत होने के बाद रतना ने प्रतिवादी संख्या 1 के इक में अपनी आराजी भूमि का हकत्याग किया है और नामान्तकरण भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही खोला गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि रतना की भूमि का वादीगण से कोई सम्बन्ध नहीं था जबकि रतना का वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो से सम्बन्ध में काका था और वादी व प्रतिवादी दोनो ने रतना की मृत्यु के बाद सामाजिक रिति रिवाज निभाये है और पगडी भी वादी संख्या 1 प्रहलाद के बंधाई गई है। इससे स्पष्ट है कि रतना का सम्बन्ध वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो से बराबर होने से रतना की भूमि का सम्बन्ध भी दोनो से था। अतः तनकी नं. 2 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा सिद्ध नहीं कर पाने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण पक्ष निर्णित की जाती है।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो मे रिलीज डीड के आधार पृतक रतना की सम्पति का हस्तान्तरण हक ग्राहिता जगदीश के पक्ष में किया गया है किन्तु काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत काश्तकारी अधिकारो का एवं खातेदारी का हस्तान्तरण को हक त्याग के माध्यम से किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही इस तरह के स्थानान्तरण से राज्य को स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि का भी हनन होता है। अतः

हकत्याग के माध्यम से किये गये रतना के खातेदारी स्थानान्तकरण को शून्य घोषित किया जाता है एवं निरस्तनीय रतना की मृत्यु पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार लाऔलाद रतना के फौत होने पर उसके सभी वारीसो को समान रूप से मृतक रतना की आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद में वर्णित सजरा अनुसार मृतक रतना के दो भाई स्व. किशनलाल व स्व. सरलाल के वारीसों को 1/2–1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह स्वयं या अन्य किसी भी माध्यम से रतना पुत्र माधो एवं रतना दतक पुत्र कल्ला के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि पर वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा व मजामहत उत्पन्न नही करे। तद्नसार डिक्री पर्चा जारी हो। पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.08.2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली